अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. : 0141–2227884,
ई–मेल : seprd1235@gmail.com & rajpr.xentc@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4 (1050) पंरावि/पीसी/जेजेवाई पीएचईडी को हस्तान्तरण/2022/910 जयपुर, दिनांक : 29.4.22

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा दिनांक 21.03.2022 की पालना में जनता जल योजना को पी.एच.ई.डी विभाग को हस्तान्तरित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 21.03.2022 को वित्त विनियोग विधेयक चर्चा पर घोषणा की है कि "**माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय विधायकगण, प्रदेश के सरपंच साथियों के साथ–साथ ग्रामीण अंचल के आमजन ने समय–समय पर जनता जल योजना से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया है। पंचायतों को इस योजना के अंतर्गत पेयजल स्कीम चलाने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी के साथ ही टेक्नीकल मेनपावर के उपलब्ध नहीं होने के कारण भी समस्या आती है। अतः जनता जल योजना के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन की दृष्टि से इन योजनाओं को पी.एच.ई.डी विभाग को दिये जाने की घोषणा करता हूँ।**" इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनता जल योजनाऐं दिनांक 30.04.2022 तक ग्राम पंचायतों के अधीनएवं दिनांक 01.05.2022 से उक्त जनता जल योजनाऐं पी.एच.ई.डी. विभाग के अधीन रहेंगी।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में जनता जल योजनाओं का पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण दिनांक 30.04.2022 तक अनिवार्य रूप से किया जाना हैं। इस क्रम में आपसे अनुरोध है कि आपके जिले में उपलब्ध ग्राम पंचायतों की जनता जल योजनाओं को जिला स्तर से ही पी.एच.ई.डी. के अधिकारियों को आज ही हस्तान्तरित कर, पालना रिपोर्ट विभागीय ई–मेल पर भिजवाने का श्रम करें। **कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।**

भवदीय

(नवीन जैन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पी.एच.ई.डी.।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.पं.रा.वि.।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज।
4. निजी सहायक, निदेशक, पंचायती राज।
5. जिला कलक्टर, समस्त।
6. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), पी.एच.ई.डी।
7. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
9. ए.सी.पी को उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(ओम कसेरा)
निदेशक

:: प्रमाण – पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 21.03.2022 को वित्त विनियोग विधेयक चर्चा पर की गई घोषणा **"जनता जल योजना पी.एच.ई.डी विभाग को हस्तान्तरित करने"** की पालना में जिला परिषद .... के अधीन .... पंचायत समितियों की .... ग्राम पंचायतों में संचालित .... जनता जल योजनाओं को आज दिनांक .... को पंचायती राज विभाग से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तान्तरित किया जाता है।

अधीक्षण / अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
जिला ....

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद ....

जनता जल योजनाओं का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिला	पंचायत समितियों की संख्या	पीएचईडी द्वारा हस्तान्तरित जनता जल योजनाएं
1	2	3	4
1	AJMER	9	53
2	ALWAR	14	208
3	BANSWARA	11	36
4	BARAN	7	56
5	BARMER	17	409
6	BHARATPUR	10	202
7	BHILWARA	12	243
8	BIKANER	7	0
9	BUNDI	5	68
10	CHITTORGARH	11	162
11	CHURU	7	75
12	DAUSA	6	71
13	DHOLPUR	5	24
14	DUNGARPUR	10	30
15	GANGANAGAR	9	347
16	HANUMANGARH	7	3
17	JAIPUR	15	340
18	JAISALMER	3	0
19	JALORE	8	13
20	JHALAWAR	8	80
21	JHUNJHUNU	8	620
22	JOHDPUR	16	1456
23	KARAULI	6	225
24	KOTA	5	30
25	NAGAUR	14	589
26	PALI	10	215
27	PRATAPGARH	5	43
28	RAJSAMAND	7	104
29	SAWAI SADHOPUR	6	79
30	SIKAR	9	419
31	SIROHI	5	82
32	TONK	6	78
33	UDAIPUR	17	163
	TOTAL	**295**	**6523**